शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय,उतई जिला–दुर्ग के विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 09/2009 से 05/2016 तक

प्रस्तावनाः– शासकीय दानवीर तुलाराक महाविद्यालय,उतई जिला–दुर्ग के अवधि 09/2009 से 05/2016 तक के अभिलेखों का विभागीय अंकेक्षण दिनांक 17.06.2016 से 24.06.2016 तक विभागीय अंकेक्षण दल के श्री यू0के0गजेन्द्र सहायक लेखाधिकारी एवं श्री ए0आर0वर्मा,वरिष्ठ अंकेक्षक द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि मे निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे :–

1	प्राचार्य	डॉ0 श्रीमती एस0के0भारद्वाज	01.09.2009 से 06.08.2012 तक
		डॉ0 ए0के0मिश्रा (प्रभारी)	06.08.2012 से 13.10.2014 तक
		डॉ0 श्रीमती कल्पना शर्मा	14.10.2014 से निरंतर
2	रजिस्ट्रार	पद स्वीकृत नहीं	
3	ग्रंथपाल	श्रीमती प्रीति शर्मा	जुलाई 2009 से निरंतर
4	कीडा अधिकारी	डॉ0 जी0एम0हसन	18.10.2003 से 30.09.2013 तक
		श्री राकेश मिंज (प्रभारी)	01.10.2013 से निरंतर
5	मुख्य लिपिक	श्रीमती शारदा मेश्राम	18.05.2005 से 31.10.2015 तक
		श्री एन0पी0वर्मा(अतिरिक्त प्रभार)	01.11.2015 से लगातार
6	लेखापाल	श्री एन0पी0वर्मा	15.09.12 से निरंतर
7	कैशियर	श्री एन0पी0वर्मा	01.09.2009 से 06.01.2010 तक
		श्री आर0आर0फांसे	07.01.2001 से 30.07.2010 तक
		श्री एस0के0वैद्य	01.08.2010 से 18.05.2012 तक
		श्री एन0पी0वर्मा	19.05.12 से लगातार
8	स्टोर कीपर	श्री पी0एम0शर्मा	01.01.97 से 31.12.2010 तक
		श्री व्ही0जे0राय	01.01.2011 से 24.06.2015 तक
		श्रीमती गिरजा सोनी	25.06.2015 से निरंतर

पूर्व में किए गये अंकेक्षण की स्थिति :– शासकीय डॉ0वा0वा0पाटनकर पी0जी0कन्या महाविद्यालय,दुर्ग जिला–दुर्ग के अभिलेखों का महालेखाकार, कोष लेखा एव पेंशन एव अन्य अभिकरण द्वारा किए गए अंकेक्षण की स्थिति निम्नानुसार है–

कमांक	आडिट का प्रकार	आडिट की अवधि	प्रतिवेदन का उत्तर भेजने का कमांक व दिनांक	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	महालेखाकार	–	–	–
2	कोष लेखा एवं पेंशन	–	–	–
3	विभागीय	31.08.2009 तक	280/29.07.2015	–

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला – दुर्ग (छ.ग.)

नगदी शिलक का भौतिक सत्यापन :– शासकीय डॉ0वा0वा0पाटनकर पी0जी0कन्या महाविद्यालय,दुर्ग जिला–दुर्ग द्वारा संधारित कैशबुक में प्रविष्ठ अंतिम शिलक का चेस्ट में रखी गई नगदी राशि से सत्यापन किया गया जो निम्नानुसार है :–

क्र.	कैशबुक का प्रकार	कैशबुक पृष्ठ क्र0 व दिनांक	कैशबुक मे अतिम शिलक	चेस्ट में पाई गई राशि
1	शासकीय कशबुक	52 / 17.06.16	00= 00	00=00
2	पी0डी0कशबुक	03 / 16.06.16	69964= 00	69964=00
3	ए0एफ0कशबुक	140 / 09.06.16	31640=00	31640=00
4	यू0जी0सी0कशबुक	29 / 31.01.16	2449=00	2449=00
5	जनभागीदारी कशबुक	65 / 01.06.16	1,62,630=00	1,62,630=00
6	रडकास	–	00=00	00=00
7	एन0एस0एस0 कशबुक	–	–	–

शासकीय डाक टिकट:– शासकीय डाक टिकट दि0 31.05.2016 की स्थिति में जावक रजिस्टर मे प्रविष्ठि अनुसार राशि रूपये 7882=00 शेष था जो सही पाया गया ।

कंडिका क्र0–01 :– <u>काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बाबत</u> :– महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से काशनमनी ली जाती है तथा उनके महाविद्यालय छोडने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांग जाने पर लौटाया जाता है, तथा जो राशि नहीं लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए ।

अंकेक्षण अवधि में काशनमनी की राशि को राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है ।

कृपया काशनमनी की राशि जो छात्रों को नहीं लौटायी गई है कि गणना कर राजसात किया जावे तथा इस राजसात राशि को कोषालय में जमा कर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका–02–<u>अनुपयोगी सामग्रियों की निलामी करने बावत</u>:– अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दि0 31.03.2016 के अनुसार कार्यालय / विभागों में सामग्रियां अपलेखन योग्य पाया गया है, ऐसी अनुपयोगी सामग्रियों को नियमानुसार अपलेखित कर नीलामी किया जावे तथा प्राप्त राशि को शासकीय खजाने में जमा कर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका क्र0–03– <u>स्वाध्यायी छात्रों से ली गई अवधान राशि राजसात किए जाने</u> बावत :–महाविद्यालय में स्वाध्यायी छात्रों से प्रायोगिक कार्य हेतु निर्धारित शुल्क लिया जाता है जिसमे अवधान की राशि भी शामिल होता है । इस अवधान राशि को छात्रों द्वारा मांगे जाने पर लौटाया जाता है । अंकेक्षण अवधि मे पाया गया कि वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक की अवधान राशि रू0 62,200/– पी0डी0खाते में जमा पाया गया । अतः इस अवधान राशि को नियमानुसार राजसात की कार्यवाही कर शासकीय खजाने में जमा किया जावे तथा चालान की छाया प्रति से आडिट को अवगत करावें ।

इसी प्रकार स्वाध्यायी छात्रों से वर्ष 2009–10 से 2015–16 तक 622 छात्रों से राशि रूपये 173775/–शुल्क लिया गया है । नियमानुसार 5प्रतिशत प्रति छात्र की दर से राशि शासन

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला – दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

खजाने में जमा किया जाना चाहिए । कृपया तदनुसार राशि शासन के खजाने में जमा किया जाकर ऑडिट को चालान की छायाप्रति उपलब्ध करावें ।

कंडिका–04– वैट टैक्स की राशि जमा करने बावत्:– शासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न सूची अनुसार फर्मों से सामग्री क्रय कर उसकी राशि का भुगतान वैट टैक्स सहित किया गया है जबकि वैट टैक्स की राशि काट कर भुगतान किया जाना था । संबंधित फर्मों द्वारा वैट टैक्स की राशि शासन के खजाने में जमा किया गया है तो चालान की छायाप्रति अथवा नहीं जमा किया गया है तो संबंधित संस्थानों से वैट टैक्स की राशि वसूल कर कोषालय में जमा किया जावे तथा चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें ।

क0	फर्म का नाम	बिल क0 व दि0	सामग्री की राशि	वैट टैक्स की राशि	बिल की कुल राशि
1	मेथाडेक्स सिस्टम,रायपुर	0726 / 03.01.12	19758=00	2766=00	22524=00
		0727 / 03.01.12	19758=00	2766=00	22524=00
		0728 / 03.01.12	19758=00	2766=00	22524=00
		0729 / 03.01.12	19758=00	2766=00	22524=00
		0730 / 03.01.12	5932=00	830=00	6762=00
		0915 / 08.02.12	16719=00	2341=00	19060=00
		0916 / 08.02.12	16719=00	2341=00	19060=00
		0878 / 03.01.12	27540=00	3856=00	31396=00
		0879 / 03.01.12	27540=00	3856=00	31396=00
		0880 / 03.01.12	27540=00	3856=00	31396=00
		0881 / 03.01.12	14802=00	2073=00	16875=00
		0012 / 16.02.12	27658=00	3872=00	31530=00
		0013 / 16.02.12	27658=00	3872=00	31530=00
		0014 / 16.02.12	10099=00	1414=00	11513=00
		0020 / 28.02.12	13334=00	1867=00	15201=00
		0021 / 28.02.12	2446=00	343=00	2789=00
2	आईडियल केमिकल्स,रायपुर	352 / 03.02.12	22562=00	1129=00	23691=00
		353 / 03.02.12	21900=00	1095=00	22995=00
		354 / 03.02.12	22954=00	1148=00	24093=00
		355 / 03.02.12	22511=00	1126=00	23637=00
		355ए / 03.02.12	5318=00	266=00	5584=00
3	गुरूदेव इंडस्ट्रीज,दुर्ग	18 / 27.02.12	20350=00	2849=00	23199=00
		19 / 27.02.12	24750=00	3465=00	28215=00
		20 / 28.02.12	24200=00	3388=00	27588=00
4	राघवेन्द्र कम्प्युटर इन्चलेव,रायपुर	237 / 27.02.12	22500=00	1125=00	23625=00
		238 / 27.02.12	15000=00	750=00	15750=00
		239 / 27.02.12	12340=00	617=00	12957=00
		2403 / 27.02.12	24700=00	1235=00	25935=00

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला – दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

		2404 / 27.02.12	24700=00	1235=00	25935=00
		2405 / 27.02.12	24700=00	1235=00	25935=00
		2406 / 27.02.12	24700=00	1235=00	25935=00
		2407 / 27.02.12	24700=00	1235=00	25935=00
5	भाटिया इजिनियरिंग वर्क्स,दुर्ग	4 / 387 / 28.09.10	43850=00	6139=00	49989=00
		योग–		70857=00	

कंडिका–05–रसायन / उपकरण क्रय करने के संबंध में :–अंकेक्षण अवधि मे शासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राचार्य द्वारा वित्तीय सीमा से अधिक राशि रू0 1,87,007 / –का रसायन / उपकरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए टुकडों–2 में क्रय किया गया है तथा भंडार क्रय नियमों का भी पालन नही किया गया है । छ0ग0 वित्तीय शक्ति की पुस्तिका 1995 मे दिए गये वित्तीय अधिकार के तहत स्नातक प्राचार्य को रसायन / उपकरण क्रय का 25000 / –प्रति वस्तु एवं रू0 50000 / –प्रति इन्डेंट अधिकार प्रदत्त है । प्राचार्य द्वारा वित्तीय सींमा से अधिक का रसायन / उपकरण का क्रय किया जा कर वित्तीय अनियमितता की है, जिसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक थी । कृपया रसायन / उपकरण क्रय की सक्षम अधिकारी से घटनोतर स्वीकृति प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें ।

क्रमांक	फर्म का नाम	बिल क्र0 व दिनांक	राशि
1	मेथाडेक्स सिस्टम,रायपुर	0726 / 03.01.12	22524=00
		0727 / 03.01.12	22524=00
		0728 / 03.01.12	22524=00
		0729 / 03.01.12	22524=00
		0730 / 03.01.12	6762=00
		0915 / 08.02.12	19060=00
		0916 / 08.02.12	19060=00
		0878 / 03.01.12	31396=00
		0879 / 03.01.12	31396=00
		0880 / 03.01.12	31396=00
		0881 / 03.01.12	16875=00
		0012 / 16.02.12	31530=00
		0013 / 16.02.12	31530=00
		0014 / 16.02.12	11513=00
		0020 / 28.02.12	15201=00
		0021 / 28.02.12	2789=00
			3,38,604=00
2	आइडियल केमिकल्स,रायपुर	355 / 03.02.12	23637=00
		352 / 03.02.12	23691=00
		353 / 03.02.12	22995=00

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला – दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

		354 / 03.02.12	24093=00
		355ए / 03.02.12	5584=00
			1,00,000=00
3	गुरूदेव इंडस्ट्रीज,दुर्ग	18 / 27.02.12	33199=00
		19 / 27.02.12	28215=00
		20 / 27.02.12	27588=00
			89002=00
4	राघवेन्द्र कम्प्युटर इन्कलेव,रायपुर	237 / 27.02.12	23625=00
		238 / 27.02.12	15750=00
		239 / 27.02.12	12957=00
		2403 / 27.02.12	25935=00
		2404 / 27.02.12	25935=00
		2405 / 27.02.12	25935=00
		2406 / 27.02.12	25935=00
		2407 / 27.02.12	25935=00
			1,82,007=00

<u>कंडिका –06–(ए) –पुस्तकें कय करने के संबंध में :–</u>अंकेक्षण अवधि में शासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि प्राचार्य द्वारा में जैन बुक डिपो,राजनांदगांव से राशि रू0 3,58,885/– की पुस्तकें कय कर राशि का भुगतान किया गया है जिसकी प्रविष्टि कैशबुक पृ0क0 18/11.03.2010 पर की गई है । प्राचार्य द्वारा वित्तीय सीमा से अधिक कय हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए टुकड़ों–2 में एक ही तिथि में किया गया है । छ0ग0भंडार कय नियम 4.3.3 अनुसार रू0 2.00लाख से अधिक तथा 10.00लाख तक सामग्री कय हेतु प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित दो समाचार पत्रों में निविदा बुलाने हेतु लोक विज्ञापन किया जाना चाहिए । प्राचार्य द्वारा ऐसा न कर एक ही फर्म से कय कर भंडार कय नियमों का पालन नहीं किया गया है । विवरण निम्नानुसार है –

देयक कमांक व दिनांक	राशि
840 / 13.02.2010	22281=00
846 / 13.02.2010	23958=00
849 / 13.02.2010	22031=00
852 / 13.02.2010	19676=00
854 / 13.02.2010	20962=00
856 / 13.02.2010	21561=00

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला – दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

858 / 13.02.2010	27094=00
859 / 13.02.2010	22567=00
860 / 13.02.2010	1312=00
861 / 13.02.2010	22834=00
863 / 13.02.2010	33116=00
866 / 13.02.2010	32745=00
868 / 13.02.2010	25275=00
870 / 13.02.2010	2025=00
871 / 13.02.2010	3426=00
872 / 13.02.2010	3902=00
873 / 13.02.2010	4502=00
874 / 13.02.2010	4673=00
875 / 13.02.2010	927=00
876 / 13.02.2010	4837=00
877 / 13.02.2010	3915=00
878 / 13.02.2010	3762=00
879 / 13.02.2010	2025=00
880 / 13.02.2010	3096=00
881 / 13.02.2010	5141=00
882 / 13.02.2010	3040=00
883 / 13.02.2010	5647=00
884 / 13.02.2010	5374=00
885 / 13.02.2010	5193=00
887 / 13.02.2010	1988=00
योग–	3,58,885=00

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना उपरोक्त आडिट को मान्य नहीं है । कृपया सक्षम अधिकारी से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें

(बी)–जनभागीदारी मद से कम्प्युटर कय करने के संबंध में:– अंकेक्षण अवधि में शासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि में जैन बुक डिपो राजनांदगांव से राशि रू0 50700/– की पुस्तकें कय कर उनके देयक कमांक 833/02.02.10 की राशि का भुगतान किया गया है । उक्त कय प्राचार्य को प्रदत्त वित्तीय सीमा से अधिक है जिसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है जो छ0ग0 वित्तीय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 119 में दिए गयें निर्देशों का उलंघन है । कृपया उपरोक्त कय की सक्षम अधिकारी से घटनोंत्तर स्वीकृति प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका –07–अशासकीय मद में जमा राशि के संबंध में:–अंकेक्षण अवधि अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि रद्दी विकय एवं दंड की राशि को अशासकीय मद में जमा किया गया है –

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला – दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

1- रद्दी विकय डी0एफ0सी0पृ0क0 90 / 23.04.10 रू0 1200=00
2- -तथैव 132 / 19.05.11 रू0 215=00
3-छात्रो से ली गई दंड की राशि 90 / 31.03.10 रू0 12550=00
132 / 31.03.11 रू0 2220=00
177 / 16.04.12 रू0 6060=00

योग- **रू0 28,955=00**

रद्दी पेपर विकय एव छात्रों से ली गई दंड की राशि नियमानुसार शासकीय मद में जमा किया जाना चाहिए। कृपया उपरोक्त राशि रू0 28955/-शासकीय खजाने में जमा किया जा कर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका-08-जनभागीदारी मद से दैनिक मजदूरी का भुगतान किए जाने बावत:-जनभागीदारी समिति के मद के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि समिति के मद से राशि रू0 9,85,551/-का दैनिक मजदूरी के लिए भुगतान किया गया है विवरण संलग्न है.। छ0ग0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 73/6/96/सी-3/38 दि0 01.10.1996 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के लिए जारी नियम (छ) अनुसार समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जावेगा गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नही किया जावेगा । नियम (झ) अनुसार समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगा, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि से मानदेय देकर अपना कार्य संचालित करेगी ।

अतः मजदूरी पर किया गया ब्यय नियमानुसार नहीं होने के कारण मान्य योग्य नहीं है । कृपया उपरोक्त राशि के दैनिक मजदूरी हेतु ब्यय किए जाने की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका-09 :- पी0डी0खाते में जमा राशि में अंतर होने के संबंध में:-अंकेक्षण के दौरान पी.डी. कैशबुक एवं पास बुक के मिलान करने पर जमा राशि में अंतर पाया गया जो निम्नानुसार है :-

1. पी.डी. कैशबुक अनुसार जमा राशि रू. - 16,21,179/-
2. ए.एफ. कैशबुक अनुसार जमा राशि रू. - 32575/-

योग - **16,53,754/-**

3. पी.डी. पासबुक जो कोषालय अधिकारी से सत्यापित है के अनुसार 31.03.2015 की स्थिति में जमा राशि रू. - 16,66,763/-

अंतर की राशि रू. - **13,009/-**

अंतर की राशि के मिलान हेतु महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों की समिति गठित कर मिलान कार्य कराया जावें तथा मिलान कार्य पूर्ण होने के उपरांत अंतः शेष राशि से आडिट को अवगत करावें।

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला - दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

डिका–10 :– अन्य कमियों के संबंध में:–अंकेक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई है जिसकी पूर्ति कर आडिट को अवगत करावें–

1– छ0ग0कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 53 के अनुसार कोषालय में जमा किए जाने वाले चालानों का सत्यापन कोषालय अधिकारी से कराया जाना आवश्यक है । कृपया चालान रजिस्टर संधारित कर जमा किए जाने वाले चालानों का सत्यापन कोषालय अधिकारी से कराया जावे ।

2– दि0 01.11.2004 के पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया है जिसे वेतन से प्रतिमाह अंशदान की राशि काटी जानी है । महाविद्यालय में नव नियुक्त शासकीय सेवकों के वेतन से प्रतिमाह काटी जाने वाली अंशदान की राशि के लिए एनेक्चर–3 अनुसार एनेक्चर–5 में रजिस्टर/अभिलेख संधारित कर अवगत करावें तथा इन्हें आवंटित **प्रान** नं0 की प्रविष्ठि सेवा पुस्तिका में किया जावे ।

3– महाविद्यालय में छात्रों से वसूल किए जाने वाले शुल्क की राशि प्रतिदिन कोषालय में जमा किया जावे, तथा अवकाश अवधि में उसके दूसरे दिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जावें ।

4–समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों सेवापुस्तिका में अंकित जन्मतिथि को प्राचार्य से प्रमाणित कराकर सेलोटेप चस्पा किया जावे ।

5–समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की अवकाश लेखा अद्यतन किया जावे ।

सहायक लेखाधिकारी
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर–छ0ग0

प्राचार्य
शासकीय दानवीर तुलाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उतई जिला – दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by CamScanner